(5)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **आर.के.मिश्रा,**

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3995/तीन-13 विरूद्ध आदेश दिनांक 19-08-2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा, संभाग रीवा म0प्र0 प्रकरण क्रमांक 7/निग./10-11.

छोटेलाल मृत वारिस-
१- गुन्थी देवी पत्नी स्व0 छोटेलाल
२- संतोष कुमार पाण्डेय तनय स्व0 छोटेलाल
३- राजबहोर पाण्डेय पिता स्व0 श्री छोटेलाल
४- शिवाकान्त पाण्डेय तनय स्व0 श्री छोटेलाल
सभी निवासी- ग्राम अकोरी, तहसील-जवा0 थाना जवा,
जिला- रीवा म0प्र0

.....निगराकार

बनाम

श्री भोला प्रसाद पाण्डेय तनय केमला प्रसाद पाण्डेय
निवासी- ग्राम अकोरी, तहसील त्योथर, जिला-रीवा म0प्र0

.....प्रत्यर्थी

श्री राजेश त्रिपाठी अधिवक्ता, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 4/02/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा, संभाग रीवा म0प्र0 द्वारा पारित दिनांक 19-08-2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य यह है कि ग्राम अकोरी, तहसील त्यौथर की भूमि खसरा क्रमांक 127, 128/1, 623/1, 765/1, 767/ 836/1352, 841/1353 एवं 1154/1360/1 कुल रकवा 5.29 ए0 अनावेदक भोला प्रसाद तनय केमला प्रसाद पाण्डेय के नाम भूमि स्वामी हम में अभिलेख में दर्ज थी । तहसीलदार त्यौथर ने उनके आदेश

दिनांक 06 जुलाई, 2002 द्वारा इस भुमि का बंटवारा अनावेदक एवं निगरानीकर्ता आवेदक के मध्य बराबर-बराबर भाग में कर दिया। अनावेदक भोला प्रसाद के अनुसार यह भूमि उसके द्वारा स्व अर्जित भूमि है, अत: तहसीलदार के इस बंटवारा आदेश के विरूद्ध उसने अनुविभागीय अधिकारी त्यौथर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो उनके आदेश दिनांक 16-07-2007 द्वारा विलंब के आधार पर अवधि बाहय मानते हुए निरस्त की गई। तदुपरांत अनावेदक भोला प्रसाद ने अनुविभागीय अधिकारी त्यौथर के इस आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर जिला रीवा के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की जो उनके आदेश दिनांक 21-01-2011 द्वारा स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी त्यौथर का आदेश दिनांक 16-07-2007 निरस्त किया गया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण क्रमांक 7/निग./10-11 दर्ज कर दिनांक 19-08-2013 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस प्रकरण में तामील सम्यक रूप से नहीं हुई अत: अपर कलेक्टर ने परीक्षण में पाया कि जानकारी दिनांक से प्रकरण अंदर म्याद है। इसी कारण निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया है। नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है कि प्रकरण का निराकरण तकनिकी आधार पर न किया जाकर गुण-दोष पर किया जाना चाहिए। अपर आयुक्त ने भी परीक्षण उपरांत अपर कलेक्टर के आदेश की पुष्टि की है। इस न्यायालय में ऐसे कोई नये तथ्य पेश नहीं किये है जिससे अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप किया जा सके।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 19-8-2013 स्थिर रखा जाता है।

4/02/19

(आर.के.मिश्रा)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर